संख्या-394/2026/2385/22-2-2025-17(415)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 13 अप्रैल, 2026

विषयः- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रमेश हरिजन पुत्र श्री राम सूरत, निवासी जनपद-वाराणसी की स्थायी नीति के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-43413/प्रो(6)/258 (अन्तर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस-25), दिनांक 24.11.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बंदी रमेश हरिजन पुत्र श्री राम सूरत (दिनांक 06.11.2025 तक बन्दी की आयु 37 वर्ष 09 माह 06 दिन) ग्राम-पूरबपुर तिनघरवा (अहरक), थाना-बडागाँव, जनपद-वाराणसी का निवासी है। बंदी द्वारा दिनांक 11.02.2009 को कुमारी ममता देवी नामक लड़की इन्टर कालेज से पढ़कर आ रही थी, रास्ते में गाँव के ही रमेश ने बुरा काम करने की नीयत से उसे पकड़ लिया। जब लड़की ने शोर-गुल किया तो अभियुक्त ने लड़की को चाकू मार दिया, जिसकी उपचार के दौरान की मृत्यु हो गयी। बंदी को उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-190/2009 व 191/2009 में भा0द0वि0 की धारा-302, 354 व 4/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, द्रुतगामी न्यायालय सख्या-01, वाराणसी के आदेश दिनांक 29.03.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 06.11.2025 तक अपरिहार 16 वर्ष, 08 माह, 23 दिन एवं सपरिहार 21 वर्ष, 05 दिन की सजा मात्र भोगी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा उल्लिखित किया गया है कि बन्दी द्वारा ममता देवी नामक लडकी को बुरा काम करने की नियत से पकड़ने व विरोध करने पर हत्या करने जैसा जघन्य व शर्मशार करने वाला अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज मे न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। अतएव बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता तथा समाज को प्रभावित करने वाले अपराध के दृष्टिगत समिति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 161 के अन्तर्गत निर्धारित स्थायी नीति विषयक शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त, 2018 एवं यथासंशोधित शासनादेश संख्या-120/2021 /1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28 जुलाई 2021, संशोधित शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी/2018 दिनांक-27.05.2022 के प्रस्तर-12 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सिद्धदोष रमेश हरिजन पुत्र राम सूरत की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रमेश हरिजन (बन्दी संख्या-29/2013) पुत्र श्री राम सूरत, निवासी जनपद-वाराणसी की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-394/2026/2385(1)/22-2-2025 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी।

2- पुलिस आयुक्त, वाराणसी।

3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

4- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।

5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।